## <u>न्यायालयः-द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा</u>
## <u>जिला-कोरबा (छ.ग.)</u>

(पीठासीन अधिकारी-जितेन्द्र कुमार सिंह)

सत्र प्रकरण क्रं.-44/2022

(CNR: **CGKB040014762022**)

संस्थित दिनांक-29.10.2022

थाना-पसान, अप.क्र.-78/2022

| | |
|---|---|
| अभियोजन | छत्तीसगढ़ राज्य<br>द्वारा आरक्षी केन्द्र- थाना- पसान<br>जिला-कोरबा (छ.ग.) |
| प्रस्तुतकर्ता अभियोजन अधिकारी | अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री विश्वजीत देवनाथ |
| अभियुक्त | कमलेश कुमार अघरिया आ० उमेंद सिंह, उम्र-29 वर्ष, सा०- ढेलुवा, थाना-पसान, जिला-कोरबा (छ०ग०) |
| बचाव अधिवक्ता | श्री अशोक ताम्रकार, अधिवक्ता। |

<u>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा, जिला-कोरबा (छ.ग.) द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक- 1259/2022 छ.ग. राज्य वि. कमलेश कुमार अघरिया में पारित उपार्पण आदेश दिनांक-14.10.2022 से उद्भूत सत्र प्रकरण।</u>

**// निर्णय//**

**(आज दिनांक -17.08.2023 को घोषित)**

**01-** अभियुक्त कमलेश कुमार अघरिया के विरूद्ध भा०द०सं० की धारा 302 के तहत दण्डनीय अपराध का यह आरोप है कि उसने दिनांक 23.06.2022 को लगभग 2.00 बजे दिन, स्थान-ग्राम ढेलवा अंतर्गत थाना-पसान, जिला-कोरबा (छ०ग०) पर मृतिका कमला बाई की हत्या कारित के

आशय से उसे शारीरिक क्षति कारित कर उसकी हत्या की कोटि में आने वाली आपराधिक मानव वध कारित किया।

**02-** अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 23.06.2022 को सूचनाकर्ता भुजवल सिंह के द्वारा थाना पसान में श्रीमती कमला बाई की सिर में हाथौड़ा से मारकर हत्या किये जाने की मर्ग सूचना दर्ज कराया गया। उक्त मर्ग सूचना थाना पसान में प्राप्त होने पर थाना प्रभारी के द्वारा घटनास्थल पर पहुंच कर मृतिका के शव का पंचों के समक्ष नक्शा पंचायतनामा तैयार किया गया। घटनास्थल का नजरीनक्शा गवाहों के समक्ष तैयार किया गया। मृतिका के शव को पी०एम० कराने हेतु सी०एच०सी० पोड़ी उपरोड़ा भेजा गया। संपूर्ण मर्ग विवेचना पश्चात मृतिका की मृत्यु हत्यात्मक होना पाये जाने तथा मृतिका की हत्या उसके पति कमलेश के द्वारा किया जाना पाये जाने से उसके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के दौरान घटनास्थल से खून आलूदा मिट्टी एवं सादी मिट्टी, मृतिका कमला बाई के सिर के पास पड़ा पत्थर सील वाला लोढ़हा गवाहों के समक्ष जप्त किया गया। घटनास्थल का नजरी नक्शा संबंधित पटवारी से तैयार करवाया गया। पी०एम० पश्चात चिकित्सक द्वारा मृतिका के पहने हुए कपड़ा को दिये जाने पर उसे गवाहों के समक्ष जप्त किया गया। आरोपी कमलेश को अभिरक्षा में लेकर उससे पूछताछ किये जाने

पर उसके द्वारा अपने मेमोरेण्डम कथन में मृतिका की हत्या किया जाना बताया गया तथा घटना में प्रयुक्त लोड़हा को परछी में ही छोड़ना बताये जाने पर उसके द्वारा अपने घर के अंदर से लोकर पेश करने पर एक लोहे का हथौड़ी, घटना के समय पहने हुए उसके कपड़े की जप्ती गवाहों के समक्ष किया गया। जप्तशुदा हथौड़े एवं पत्थर का क्यूरी संबंधित चिकित्सक से कराया गया। गवाहों के कथन उनके बतायेनुसार लेखबद्ध किया गया। जप्तशुदा संपत्तियों को रासायनिक परीक्षण हेतु क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला बिलासपुर भेजा गया। संपूर्ण विवेचना पश्चात अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र तैयार न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

**03-** विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा ने प्रकरण में विचारण का क्षेत्राधिकार अनन्यतः सत्र न्यायालय को होना पाकर माननीय सत्र न्यायाधीश, कोरबा को प्रकरण उपार्पित किया। माननीय सत्र न्यायाधीश, कोरबा द्वारा यह प्रकरण विधिवत् निराकरण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

**04-** अभियुक्त के विरूद्ध भा०दं०सं० की धारा- 302 के तहत प्रथम दृष्टया अपराध कारित करना पाये जाने पर उक्त धारा के तहत उसके विरूद्ध आरोप विरचित कर उसे पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर उसने जुर्म करने से इंकार कर प्रतिरक्षा चाहा। अभियुक्त की प्ली उसके शब्दों में लेख किया गया है।

अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में संदीप कुमार पाण्डेय (अ०सा०-01), जयराम अघरिया (अ०सा०-02), भुजवल सिंह (अ०सा०-03), कृष्ण कुमार (अ०सा०-04), विष्णु राठौर (अ०सा०-05), भरथरी एक्का (अ०सा०-06), नंद लाल (अ०सा०-07), जगतपाल (अ०सा०-08) , डॉ० गजराज सिंह (अ०सा०-09), आरक्षक बुद्ध सिंह मधुकर (अ०सा०-10), कु० देवकी अघरिया (अ०सा०-11) एवं उ०नि० शिव कुमार धारी (अ०सा०-12) का साक्ष्य कराया गया है। प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के संबंध में अभियुक्त का धारा-313 द.प्र.सं. के तहत परीक्षण किये जाने पर उसके द्वारा स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया जाना कहा गया है तथा उसकी ओर से बचाव साक्षी के रूप में दुर्गेश अगरिया (ब०सा०-01) का परीक्षण कराया गया है।

**05-** प्रकरण के निराकरण के लिए निम्नलिखित मुख्य विचारणीय प्रश्न हैः-

01- "क्या घटना दिनांक 23.06.2022 को लगभग 2.00 बजे दिन, स्थान-ग्राम ढेलवा अंतर्गत थाना-पसान, जिला-कोरबा (छ०ग०) पर मृतिका कमला बाई के सिर पर कारित हुयी

संघातिक चोटों के कारण उसकी असमान्य दशा में हत्यात्मक स्वरूप की मृत्यु कारित हुयी ?

02- क्या उपरोक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर मृतिका को कारित उपरोक्तानुसार संघातिक चोट अभियुक्त ने मृतिका कमला बाई की हत्या कारित करने के अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में कारित कर उसकी हत्या किया?"

**//विचारणीय प्रश्न क्रं० 01 का सकारण निष्कर्ष//**

**06-** साक्षी जयराम अघरिया (अ०सा०-02), भुजवल सिंह (अ०सा०-03), कृष्ण कुमार (अ०सा०-04), नंद लाल (अ०सा०-07), जगतपाल (अ०सा०-08), देवकी अघरिया (अ०सा०-11) इन सभी साक्षियों ने घटना दिनांक को मृतिका का शव अभियुक्त के घर के परछी में देखना बताया है और उसे चोटिल अवस्था में देखना भी कहा है। साक्षी जयराम अघरिया (अ०सा०-02) ने मृतिका के चेहरे, सिर, गला एवं छाती में चोट लगा होना देखना कहा है, भुजवल सिंह (अ०सा०-03) ने मृतिका के नाक और आँख के पास चोट लगा होना और रक्त स्त्राव होना देखना कहा है। कृष्ण कुमार (अ०सा०-04) ने मृतिका के चेहरे में गंभीर चोट लगा होना और उसके नाक की हड्डी अंदर घुस जाना देखना कहा है। नंदलाल (अ०सा०-07) एवं जगतपाल

(अ०सा०-08) ने मृतिका के चेहरे में चोट लगा होना देखना कहा है। साक्षी देवकी अघरिया (अ०सा०-11) ने मृतिका का एक आँख बाहर की ओर निकल गया होना देखना और रक्त स्राव देखना कहा है। उल्लेखनीय है कि मृतिका के घटनास्थल पर मृत पाये जाने अथवा उसके चोट ग्रस्त होने के संबंध में उपरोक्त साक्ष्य अनुसार दर्शित तथ्य प्रतिरक्षा अनुसार प्रश्नगत नहीं है।

**07-** भुजवल सिंह (अ०सा०-03) ने मृतिका की मृत्यु की सूचना आरक्षी केन्द्र में प्रदर्श पी०-03 अनुसार दिया जाना बताया है तथा उक्त साक्षी के अनुसार बताये गये तथ्यों का समर्थन करते हुए अन्वेषण अधिकारी उप निरीक्षक शिव कुमार धारी (अ०सा०-12) ने उक्त साक्षी की सूचना पर ही मर्ग सूचना प्रदर्श पी०-05 लेख किया जाना बताया है और प्रकट किया है कि उसने मौके पर जाकर प्रदर्श पी०-05 अनुसार गवाहों को सूचना देकर नक्शा पंचायतनामा तैयार किया था तथा प्रदर्श पी०-07 अनुसार घटनास्थल का नजरीनक्शा तैयार किया था। यह भी प्रकट किया है कि घटनास्थल का पटवारी नक्शा प्राप्त करने हेतु प्रदर्श पी०-23 का पत्र भी प्रेषित किया था तथा इसी क्रम में पटवारी संदीप पाण्डेय (अ०सा०-01) ने उपरोक्त पत्र के अनुसरण में ही प्रदर्श पी०-01 अनुसार घटनास्थल का नजरीनक्शा तैयार किया जाना और उसमें घटनास्थल को चिन्हाकित किया जाना बताया है। उपरोक्तानुसार ही प्रदर्श पी०-03 अनुसार

मृत्यु की सूचना दिये जाने का तथ्य, नक्शा पंचायतनामा की कार्यवाही का तथ्य एवं प्रदर्श पी०-07 अनुसार घटनास्थल का नजरीनक्शा तैयार किये जाने का तथ्य साक्षियों के प्रतिपरीक्षा में खण्डित या अमान्य दर्शित नहीं है।

**08-** प्रदर्श पी० -07 तथा प्रदर्श पी० -01 के घटनास्थल के नजरीनक्शा अनुसार घटनास्थल अभियुक्त के घर के परछी होना दर्शित है, जो उपरोक्तानुसार अस्वीकृत दर्शित नहीं है। इसके अतिरिक्त नक्शा पंचायतनामा की कार्यवाही का अनुसमर्थन साक्षी भुजवल सिंह (अ०सा०-03), नंदलाल (अ०सा०-07) ने भी अपने साक्ष्य अंतर्गत किया है, इसलिए प्रदर्श पी०-06 अनुसार नक्शा पंचायतनामा की कार्यवाही भी प्रकरण में असंदिग्ध है, जिसके अनुसार घटना के अगले दिन दिनांक 24.06.2022 को नक्शा पंचायतनामा की कार्यवाही की गयी है, जिसमें मृतिका के दाहिने आँख के उपर किसी भारी वस्तु से मारने से उसका दब जाना, सिर में गहरा चोट, दोनों कानों से रक्त स्त्राव, चेहरा रक्त रंजीत होना, दोनों नाक से रक्त स्त्राव होना पाया जाना लेख है और इसके अंतर्गत मृत्यु का सही कारण जानने हेतु शव परीक्षा की राय दिया जाना लेख है।

**09-** उपरोक्तानुसार ही अन्वेषण अधिकारी उ०नि० शिवकुमार धारी (अ०सा०-12) ने प्रदर्श पी०-14 का शव परीक्षा हेतु तहरीर तैयार कर प्रदर्श पी०-19 अनुसार आरक्षक सुपेत सिंह को शव परीक्षा हेतु कर्तव्यस्थ कर मृतिका

के शव को परीक्षा हेतु भेजा जाना बताया है, एवं इस संबंध में भी साक्षी ने कोई प्रतिकूल कथन नहीं किये हैं। इसी क्रम में डॉ० गजराज सिंह (अ०सा०-09) चिकित्सकीय विशेषज्ञ साक्षी का अभियोजन की ओर से परीक्षण कराया गया है, जिन्होंने अपने परीक्षण अंतर्गत प्रकट किया है कि उनके द्वारा मृतिका का शव परीक्षा प्रदर्श पी०-15 अनुसार किया गया था। उक्त परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार मुख्य रूप से मृतिका के सिर एवं चेहरे पर चार गंभीर चोट पाया जाना प्रतिवेदित किया गया है, जो निम्नानुसार हैः-

**चोट क्रं०-01**- मृतिका के सिर के उपरी हिस्से में टेम्पोरल रीजन पर 4X3X3 सें.मी. के आकार का छीथरे, गहरे चोट थे, उस हिस्से की हड्डी टूटी हुयी थी तथा वहां मस्तिष्क के अंदर खून का थक्का जमा हुआ था तथा मस्तिष्क की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो गयी थी।

**चोट क्रं०-02**- नाक के अग्र भाग पर 5X3X3 सें.मी. के आकार का छीथरा एवं कटा हुआ घाव था एवं नाक की हड्डी टूट गयी थी।

**चोट क्रं०-03**- दाहिने आँख के किनारे पर 3X3X3 सें.मी. के आकार का छीथरा कटा हुआ चोट था एवं चोट के पास की हड्डी टूटी हुयी थी।

**चोट क्रं०-04-** बांये कान के पास 3X2X2 सें.मी. के आकार का छीथरा कटा हुआ चोट था एवं वहां अंदरूनी हिस्से में खून का थक्का जमा हुआ था।

**10-** उपरोक्त चिकित्सकीय विशेषज्ञ साक्षी ने उक्त चोटों का विवरण देते हुए यह बताया है कि मृतिका के सिर एवं चेहरे पर पायी गयी उपरोक्त चोटों का किसी कठोर, भारी एवं भोथरे वस्तु के घातक प्रहार से आना प्रतीत हो रहा था तथा उक्त चोटों के कारण मृतिका की मृत्यु निरोजेनिक शॉक से हुयी थी। मृत्यु की अवधि शव परीक्षण के 24 घण्टे के भीतर की थी। यद्यपि इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में शव परीक्षा दिनांक 26.06.2022 को किया जाना बताया है, परंतु पुनः सूचक प्रश्न अंतर्गत यह स्वीकार किया है कि उसने शव परीक्षा दिनांक 24.06.2022 को ही किया है और त्रुटिवश उसने मुख्य परीक्षा में 26.06.2022 को शव परीक्षा किया जाना कहा है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में अस्वीकार किया है कि उसने 26.06.2022 को शव परीक्षा किया है। अन्य कोई उल्लेखनीय कथन प्रतिपरीक्षा में नहीं किया है। प्रदर्श पी० -15 के शव परीक्षा प्रतिवेदन अनुसार

मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक स्वरूप का होना लेख है। उपरोक्तानुसार मृतिका की मृत्यु के संबंध में उपरोक्त अवलोकन अनुसार सभी साक्ष्य तथा चिकित्सकीय विशेषज्ञ साक्षी का भी साक्ष्य यह असंदिग्ध रूप से स्पष्ट करते हैं कि मृतिका की मृत्यु उसके सिर पर कारित संघातिक चोटों के कारण हत्यात्मक स्वरूप की कारित हुयी थी। इसके साथ ही उपरोक्त साक्ष्य से घटनास्थल पर भी प्रकरण में संदेह का कोई आधार नहीं दिखा है।

**//विचारणीय प्रश्न क्रं० 02 का सकारण निष्कर्ष//**

**11-** अभियोजन की कहानी इस संबंध में यह रही है कि घटना दिनांक को अभियुक्त घर से काम करने गया था, दोपहर 2.00 बजे जब वह घर आया तो उसने मृतिका को कार्तिक नाम के व्यक्ति के साथ संदिग्ध हालत में देखा एवं इसी के बाद उसके द्वारा कार्तिक राम के भाग जाना मृतिका के सिर में पत्थर, हथौड़े से मारकर उसकी हत्या कर दी थी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन की कहानी अनुसार घटना का कोई प्रत्यक्ष साक्षी नहीं है, इस कारण अभियोजन का प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। अतः इसी संबंध में प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया जाना है।

**12-** साक्षी जयराम अघरिया (अ०सा०-02) मृतिका का पिता है। इस साक्षी ने मृत्यु पूर्व के अभियुक्त से मृतिका के विवाद एवं घटना का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। साक्षी ने बताया है कि विवाह के एक वर्ष बाद से ही अभियुक्त शराब और गांजे का सेवन कर मृतिका के साथ मारपीट किया करता था। घटना से 11 वर्ष पूर्व एक बार उसने मृतिका को घर में जल रही अंगीठी में धकेल दिया था, जिससे उसका कपड़ा जल गया था, इसके बाद गांव में बैठक करायी गयी थी और पुनः मृतिका अभियुक्त के साथ रह रही थी। उक्त घटना के एक-दो वर्ष बाद मृतिका को अभियुक्त ने उसके मायके भेज दिया और 20,000/- रूपये की मांग करने लगा, बाद में सिलाई मशीन देने पर वह पुनः मृतिका को साथ ले गया। इसके 4-5 साल बाद पुनः मारपीट करते हुए मृतिका को घर से भगा दिया था, इसके संबंध में घटना के एक माह पूर्व ही बैठक की गयी थी, जिसमें अभियुक्त एवं उसके परिजनों ने मृतिका को अपने साथ रखने से मना कर दिया, तब मृतिका अपने मायके में रह रही थी, परंतु इस बैठक के एक सप्ताह के बाद ही अभियुक्त मृतिका को लेने के लिये आ गया था, जिसके बाद गांव में बैठक कराकर मृतिका को उसके साथ भेज दिया था। घटना दिनांक को मृतिका की पुत्री देवकी (अ०सा०-11) ने इस साक्षी को फोन करके शाम को 4.00 बजे बताया कि मृतिका की हत्या हो गयी है।

**13-** कृष्ण कुमार (अ०सा०-04) मृतिका का भाई है और इसने भी घटना के पूर्व मृतिका से अभियुक्त के विवादों का विवरण देते हुए अभियुक्त द्वारा मृतिका की हत्या किया जाना बताया है। घटना का विवरण अंतर्गत बताया है कि विवाह के 3-4 साल तक वे लोग ठीक से थे, लेकिन मृतिका का बच्चा होने के बाद से अभियुक्त मृतिका के साथ मारपीट करते रहता था। एक साल पूर्व लक्ष्मण घाट खर्डी में मेले में अभियुक्त द्वारा कार्तिक राम को मारपीट किया गया था, जिससे मृतिका के संबंध होने की अभियुक्त शंका करता था। उस घटना के संबंध में मृतिका साक्षी थी, इस कारण कार्तिक के साथ मृतिका के कार्तिक के साथ संबंध होने का अभियुक्त को यकीन हो गया था। इसी से उत्पन्न झगड़े के बाद मृतिका मायके में आ गयी थी। मृतिका की मृत्यु से दो सप्ताह पूर्व बैठक हुयी थी, जिसमें अभियुक्त के परिजन मृतिका को रखने के लिए राजी नहीं थे और इसके एक सप्ताह बाद अभियुक्त मृतिका को पुनः अपने साथ ले गया था और इसी के एक सप्ताह बाद मृतिका के हत्या की सूचना उसे देवकी (अ०सा०-11) के माध्यम से प्राप्त हुयी थी।

**14-** साक्षी विष्णु राठौर (अ०सा०-05) एवं भरथरी एक्का (अ०सा०-06) ने अभियुक्त से मृतिका का विवाद के संबंध में पंचायत में हुये बैठक के संबंध में साक्ष्य दिया है। दोनों साक्षियों ने यह बताया है कि घटना से

एक वर्ष पूर्व ग्राम ढेलवा में पंच, सरपंच एवं अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में बैठक हुयी थी। उक्त बैठक मृतिका को अभियुक्त द्वारा छोड़ दिये जाने के संबंध में की गयी थी। उक्त बैठक में अभियुक्त ने मृतिका के चरित्र पर शंका किया था और मामला नहीं सुलझने पर अभियुक्त एवं उसके परिजनों ने मृतिका को रखने से इंकार कर दिया था, तब वे लोग वापस आ गये थे। इस घटना के कुछ दिन बाद अभियुक्त ग्राम खर्डी के सरपंच के साथ मृतिका के घर मृतिका को लेने आया था, तब उसे समझाईश देकर मृतिका को उसके साथ भेज दिये थे। इसी घटना के बाद मृतिका की हत्या होना ज्ञात होना साक्षियों ने कहा है। ऐसा ही कथन साक्षी नंदलाल (अ०सा०-07) ने भी किया है और उपरोक्तानुसार ही पंचायत बैठक की कार्यवाही होना, पंचायत में समझौता नहीं हो पाना, इसके एक-डेढ़ सप्ताह बाद मृतिका को अभियुक्त द्वारा जाकर लाना बताया है और इसके बाद मृतिका की मृत्यु होने का कथन किया है।

**15-** साक्षी देवकी अघरिया (अ०सा०-11) पीड़िता की पुत्री है तथा यह एक 12 वर्षीय बाल साक्षी है, इस साक्षी ने घटना के बारे में मुख्य परीक्षा अंतर्गत केवल यह प्रकट किया है कि घटना दिनांक को प्रातः 9-10 बजे उसके पिता आरोपी ने मृतिका को उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए कहा था, तब मृतिका उन्हें स्कूल छोड़ने आयी थी। स्कूल में उसके छोटे भाई का सिर दर्द होने पर वे

लोग स्कूल से छुट्टी लेकर घर आ गये थे और जैसे ही घर के पास पहुंचे थे, उन्होंने देखा कि मृतिका को अभियुक्त मारकर घर से निकल रहा था और मृतिका वहीं जमीन में पड़ी हुयी थी। उसकी मां को हथौड़े से मारा गया था। इसके बाद इस साक्षी ने पड़ोस में जाकर नाना को फोन लगाया जाना कहा है। अभियोजन द्वारा सुझाव अंतर्गत सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि अभियुक्त आये दिन शराब पीकर उसकी मम्मी पर शक करते हुए गाली गलौज तथा मारपीट करता था और कई बार मारपीट से तंग आकर मृतिका अपने मायके भी चली जाती थी, इस संबंध में कई बार बैठक भी हुआ था, जिसमें अभियुक्त ने अब मारपीट नहीं करेगा, कहा था परंतु इसके बाद भी वह उसकी मां से मारपीट किया करता था। यह स्वीकार किया है कि जिस समय उसकी मां उन लोगों को स्कूल छोड़ने गयी थी, तब घर पर केवल मृतिका और अभियुक्त ही थे और कोई नहीं था।

**16-** उपरोक्तानुसार अभियोजन साक्षी जयराम अघरिया (अ०सा०-02), कृष्ण कुमार (अ०सा०-04), विष्णु राठौर (अ०सा०-05), भरथरी एक्का (अ०सा०-06), नंदलाल (अ०सा०-07) तथा देवकी अघरिया (अ०सा०-11) के मुख्य परीक्षा अंतर्गत प्रकट साक्ष्य से यह स्पष्ट हुआ है कि मृतिका से अभियुक्त का वैवाहिक संबंधों के दौरान पूर्व से विवाद था तथा अभियुक्त तथा

उसके परिजन अन्य व्यक्ति कार्तिक से मृतिका के संबंध को लेकर उस पर शंका करते थे और इसी कारण उनके मध्य मुख्य विवाद था। यह भी प्रकट हुआ है कि घटना से कुछ दिनों पूर्व ही मृतिका को मृतिका के परिजनों से सुलह कर अभियुक्त उसे ससुराल लेकर आया था और घटना दिनांक को अभियुक्त घर पर मृतिका के साथ अकेला था, जिस दिन मृतिका की उपरोक्तानुसार हत्या की घटना कारित हुयी है। घटना के तत्काल पश्चात भी साक्षी देवकी (अ०सा०-11) ने अभियुक्त को मृतिका के हत्या के घटनास्थल से जाते हुए देखना स्पष्ट किया है।

**17-** उपरोक्त संबंध में अभियुक्त की ओर से ली गयी प्रतिरक्षा एवं इस संबंध में प्रकरण में साक्षियों के प्रतिपरीक्षा में आये तथ्य तथा अन्य साक्ष्य का उल्लेख भी आवश्यक है। अभियुक्त की ओर से यह प्रतिरक्षा ली गयी है कि मृतिका का कार्तिक राम नाम के व्यक्ति से विवाहेत्तर संबंध थे और घटना दिनांक को उपरोक्त कार्तिक राम मृतिका से अवैध संबंध बनाने उसके घर गया था और मृतिका द्वारा मना किये जाने पर उसी दिन मृतिका की हत्या कारित की थी। घटना दिनांक को अभियुक्त घटनास्थल पर नहीं था, बल्कि वेंकटनगर गया था। इस संबंध में अभियुक्त की ओर से बचाव साक्षी दुर्गेश अघरिया (ब०सा०-01) का भी परीक्षण कराया गया है।

**18-** बचाव साक्षी दुर्गेश अघरिया (ब०सा०-01) ने अपने मुख्य परीक्षा में बताया है कि घटना दिनांक 23.06.2022 के दोपहर 2.00 बजे वह अपने घर के अंदर टी०व्ही० देख रहा था और उसके पिता घर के बाड़ी तरफ काम कर रहे थे, तभी उसके भाभी के घर की तरफ से आवाज आया, जिसे सुनकर उसके पिता उधर जाकर देखे थे, कि कार्तिकराम मृतिका को मारकर भाग रहा था, तब उसके पिता ने उसे आकर बताया, जिस पर वह बाहर निकलकर देखा तब तक कार्तिक राम भाग चुका था और मृतिका घटनास्थल पर मृत पड़ी हुयी थी और वहां खून के छींटे थे, तब वह अपने भाई कमलेश को फोन पर सूचना दिया जो वेंकटनगर गया हुआ था, शाम के 4.00 बजे वह आया, तब वह थाना घटना की सूचना देने गया था। थाने में अभियुक्त को रोक लिया गया था और अगले दिन अभियुक्त को घटनास्थल लेकर आये थे। साक्षी ने पुलिस को ऐसा ही बताया जाना भी कहा है।

**19-** सर्वप्रथम उल्लेखनीय है कि स्वयं इस साक्षी के अभिसाक्ष्य से यह साक्षी घटना का प्रत्यक्ष साक्षी प्रकट नहीं है बल्कि उसने घटना उसके पिता द्वारा देखा और बताया जाना कहा है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह अभियुक्त का भाई है। इसके अतिरिक्त यह साक्षी अभियोजन द्वारा अभियोग पत्र अंतर्गत नामित साक्षी है और इस संबंध में इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा अभियोजन

द्वारा किया गया है। इस साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने मृतिका की हत्या होते हुए नहीं देखा है। इस साक्षी ने उसके प्रकरण में संलग्न पुलिस कथन प्रदर्श पी०-26 अनुसार पुलिस कथन के अ से अ भाग **"विगत दो वर्षों से भाई अपने पत्नी के चरित्र पर शंका करता था, बहू कमला बाई किसी लड़के से बातचीत करती थी, तो भाई मारपीट करता था, जिसके कारण बहू कई बार भाग कर अपने पापा के घर नेवरी नवापारा चली जाती थी, गांव में कई बार बैठक भी हुआ था, जिसमें भाई अब मारपीट नहीं करूंगा, बोलता था, उसके बाद फिर मारपीट करता था, एक सप्ताह पहले ही बहू मायका से आयी थी।"** एवं ब से ब भाग का कथन का भाग **"दिनांक 30.06.2022 को सुबह 10.00 बजे भाई के तीनों बच्चे स्कूल गये थे, भाई गांव में ही काम करने गया था, बहू घर में अकेली थी। दोपहर मैं घर के बाहर मनोज तिवारी के घर के बाहर बैठा था। भाई दोपहर काम कर घर आया, शाम 4.30 बजे स्कूल से बच्चे घर आये तो बच्चों का रोने का आवाज आया, तब मैं घर पास गया तो बहू घर के परछी में चोट हालत में खून से लथपथ पड़ी थी, भाई घर में नहीं था , मैं गांव के लोगों को बुलवाया, गांव के कोटवार को खबर किया, वह आया।"** को पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने वैसा कथन किया जाना अस्वीकार किया है और यह

अस्वीकार किया है कि अपने भाई को जेल से छुड़वाने के लिए झूठी गवाही दे रहा है परंतु यह स्वीकार किया है कि कार्तिक राम के द्वारा मृतिका की हत्या किये जाने के संबंध में उसने कहीं भी कोई शिकायत नहीं किया था।

**20-** उपरोक्त बचाव साक्षी ने अभियोजन द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षा में अभियुक्त द्वारा मृतिका के चरित्र पर शंका किये जाने का सुझाव अस्वीकार किया है। यह भी अस्वीकार किया है कि उपरोक्त शंका के कारण उनके मध्य झगड़ा होता था, जिससे वह कई बार मायके गयी थी। पुनः मृतिका के मायके में मिटिंग कराने के लिए उन लोगों का जाना अस्वीकार किया है परंतु मिटिंग में अभियुक्त द्वारा पत्नी को अच्छे से रखना कहना, जानकारी नहीं होना कहा है। पुनः यह जानकारी नहीं होना कहा है कि मृतिका की मृत्यु के एक सप्ताह पूर्व उसके मायके में बैठक हुआ था, जिसमें अभियुक्त ने मृतिका को अच्छे से रखना कहा था।

**21-** उपरोक्त साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा में ही भाभी के घर की तरफ आवाज आना सुनकर उसके पिता द्वारा उधर जाना कहा गया है, इससे स्पष्ट है कि इस साक्षी तथा अभियुक्त का निवास पृथक-पृथक है और यही तथ्य इस साक्षी के पुलिस कथन प्रदर्श पी०-26 से भी दर्शित है। अभियुक्त की ओर से साक्षी जयराम अघरिया (अ०सा०-02), भुजबल सिंह (अ०सा०-03), नंदलाल

(अ०सा०-07), जगतपाल (अ०सा०-08) इन सभी साक्षियों को मृतिका के मृत्यु पूर्व कार्तिक राम से उसके विवाहेत्तर संबंध होने का तथ्य तथा इसको लेकर बैठक होने का तथ्य का सुझाव दिया गया है। ऐसी दशा में स्वयं इस बचाव साक्षी द्वारा इस तथ्य से संबंधित सुझावों को अमान्य किया जाना यह दर्शाता है कि साक्षी ने तथ्यों के संबंध में सत्य कथन नहीं किया है। एक तरफ यह साक्षी सामाजिक बैठक को अस्वीकार करता है और दूसरी तरफ बैठक में अभियुक्त द्वारा कहे जाने वाले तथ्यों की जानकारी नहीं होना कहता है, यदि बैठक का तथ्य अस्वीकृत है, तो स्वभाविक रूप से बैठक में कहीं गयी बातों का तथ्य भी अस्वीकृत ही होना चाहिए, इस कारण भी इस साक्षी का अभिसाक्ष्य विचलित एवं विश्वास योग्य दर्शित नहीं है, साथ ही इस साक्षी के अभिसाक्ष्य से यह भी प्रकट है कि यह साक्षी घटना का प्रत्यक्ष साक्षी नहीं है, बल्कि घटना को साक्षी ने उसके पिता द्वारा देखा जाना कहा है, जिसका साक्ष्य बचाव पक्ष की ओर से नहीं कराया गया है।

**22-** अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षियों के प्रतिपरीक्षा अंतर्गत भी ली गयी प्रतिरक्षा के संबंध में दर्शित तथ्य अवलोकनीय है। मृतिका के पिता जयराम अघरिया (अ०सा०-02) ने प्रतिपरीक्षा में समस्त सारवान सुझाव अस्वीकार किया है और यह अस्वीकार किया है कि पंचायत की बैठक में उसके

दामाद से उसे ज्ञात हुआ था कि ग्राम खर्डी के कार्तिक से मृतिका का अवैध संबंध था, जिसके लिए अभियुक्त के मना करने पर भी वह मानती नहीं थी। यह भी अस्वीकार किया है कि मृतिका के ससुर उमेंद सिंह ने उसे बताया था कि कार्तिक राम मृतिका से अवैध संबंध बनाना चाहता था, जिसे मृतिका ने मना किया, इसी बात पर दोनों का विवाद हुआ और वह मृतिका को मारकर भाग गया तथा उस समय अभियुक्त गांव से बाहर गया था। यह भी अस्वीकार किया है कि देवकी (अ०सा०-11) ने केवल मृतिका की मृत्यु होना बताया था। स्वतः कथन कर कहा है कि देवकी ने अभियुक्त द्वारा मृतिका को हथौड़े से मारा जाना बताया था।

**23-** साक्षी भुजवल सिंह (अ०सा०-03) ने अभियोजन द्वारा पूछे गये सूचक प्रश्न अंतर्गत यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त तथा मृतिका के बीच में मृतिका के चरित्र को लेकर शंका किये जाने के विषय में गांव में बैठक हुआ था, जिसमें पंच सरपंच तथा अन्य लोग आये थे, जिसमें अभियुक्त ने मृतिका का कार्तिक राम नाम के लड़के से अवैध संबंध होना बताया था और यह भी कहा था कि मृतिका समझाने पर मानती नहीं है। प्रतिपरीक्षा अंतर्गत यह स्वीकार किया है कि मृतिका के पिता को भी अभियुक्त ने मृतिका का कार्तिक राम से अवैध संबंध होना बताया था। यह भी स्वीकार किया है कि जब वह घटनास्थल

पर पहुंचा था, तब अभियुक्त घर पर नहीं था और यह अस्वीकार किया है कि उसने सुना था कि कार्तिक राम मृतिका से अवैध संबंध बनाना चाहता था तथा मना करने पर उसी ने मृतिका की हत्या की थी।

**24-** साक्षी कृष्ण कुमार (अ०सा०-04) ने अपने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि लक्ष्मण घाट खर्डी में मेले में अभियुक्त का कार्तिक राम के साथ मारपीट किये जाने की घटना को उसने पुलिस कथन प्रदर्श डी०-01 अंतर्गत नहीं बताया था। अन्य सभी सारवान सुझाव अस्वीकार किया है और यह अस्वीकार किया है कि कार्तिक राम मृतिका से अवैध संबंध बनाना चाहता था तथा मना करने पर उसी ने मृतिका की हत्या की थी। साक्षी विष्णु राठौर (अ०सा०-05) एवं भरथरी एक्का (अ०सा०-06) ने अपने प्रतिपरीक्षा में इस संबंध में कोई प्रतिकूल कथन नहीं किया है। साक्षी नंदलाल (अ०सा०-07) ने अपने प्रतिपरीक्षा में यह अस्वीकार किया है कि अभियुक्त के भाई दुर्गेश ने घटना के समय उसके भाई अभियुक्त की वेंकटनगर जाने की बात बतायी थी। अन्य कोई उल्लेखनीय कथन इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षा में नहीं किया है।

**25-** साक्षी देवकी अघरिया (अ०सा०-11) ने अपने प्रतिपरीक्षा में स्कूल से कितने बजे वह आयी थी, नहीं बताया जा सकना कहा है और प्रकट किया है कि स्कूल की छुट्टी होने में समय बचा हुआ था, तभी वह घर आ गयी

थी। यह अस्वीकार किया है कि उसके आने पर उसके पिता घर पर नहीं थे और यह बताया है कि उन लोगों के रोने पर उसके चाचा दुर्गेश वहां आये थे और उन्होंने गांव वालों को बुलाया था। साक्षी ने अभियुक्त को मारते हुए भी देखा जाना कहा है और पुलिस को ऐसा बताया जाना भी कहा है परंतु उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी०- 18 में इसका उल्लेख नहीं हो सकने का कारण नहीं जानना कहा है। यह स्वीकार किया है कि मृतिका घटना के एक सप्ताह पहले ही अपने मायके से आयी थी। यह स्वीकार किया है कि उसने उसके पिता को उसकी मम्मी को मारते हुए नहीं देखा है और स्कूल से आने के बाद रात तक अपने पिता को नहीं देखा जाना कहा है परंतु यह अस्वीकार किया है कि जब अगले दिन सुबह जब पुलिस वाले अभियुक्त को लेकर आये थे, तब उसे देखी थी। यह भी अस्वीकार किया है कि उसने उसकी मम्मी को किसने मारा नहीं देखा है और नही जानती है और यह अस्वीकार किया है कि वह अपने नाना के सिखाये अनुसार बयान दे रही है। न्यायालय द्वारा तथ्यों को स्पष्ट कर प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह उत्तर दिया है कि उसने स्कूल से आने पर उसकी मां को उसके पिता अभियुक्त द्वारा मारकर निकलते हुए देखा था।

**26-** उपरोक्तानुसार जहां स्वयं अभियुक्त की ओर से ली गयी प्रतिरक्षा अनुसार यह तथ्य स्पष्ट हुआ है कि मृतिका के अन्य व्यक्ति कार्तिक राम से

विवाहेत्तर संबंध को लेकर अभियुक्त का मृतिका से विवाद था, वहीं प्रतिरक्षा अनुसार अभियुक्त यह स्पष्ट करने में विफल दिखा है कि घटना दिनांक को अभियुक्त अन्य गांव गया था तथा घटना कार्तिकराम को अवैध संबंध नहीं बनाने देने के कारण कार्तिक राम के द्वारा कारित की गयी थी, इसलिए उक्त साक्षियों के अभिसाक्ष्य के उपरोक्तानुसार अवलोकन से घटना कारित किये जाने का अभियुक्त का आशय (Motive) स्पष्ट हुआ है जो स्वयं उसकी ओर से भी स्वीकृत दिखा है कि मृतिका का अन्य व्यक्ति कार्तिक राम से संबंध होने की बात का उससे विवाद था और इस संबंध में मृतिका उसकी बात नहीं मानती थी, इसकी उसे शिकायत थी।

**27-** अन्वेषण अधिकारी शिव कुमार धारी (अ०सा०-12) ने बताया है कि अन्वेषण के दौरान उसने घटनास्थल से प्रदर्श पी० -10 अनुसार खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी, एक सील वाला लोढ़ा (गांव में मसाला पिसने में उपयोग किये जाने वाला पत्थर) जप्त किया था। इसके पश्चात अभियुक्त का प्रदर्श पी०-09 अनुसार मेमोरेण्डम कथन लेख किया था और उसकी निशानदेही पर उसके द्वारा घर से निकालकर पेश करने पर लोहे का हथौड़ा तथा अभियुक्त का घटना के समय पहना गया सेण्डो बनियान प्रदर्श पी०-11 के अनुसार जप्त किया था। इसके अतिरिक्त प्रदर्श पी०-17 अनुसार मृतिका के शव परीक्षा पश्चात उसके

वस्त्र प्रदर्श पी० -17 अनुसार जप्त किया जाना कहा है, इस तथ्य का समर्थन साक्षी बुध सिंह मधुकर (अ०सा०-10) ने भी किया है। साक्षी ने घटनास्थल से तथा अभियुक्त से उपरोक्त जप्तशुदा संपत्तियों को क्यूरी हेतु प्रदर्श पी० -21 एवं 22 अनुसार चिकित्सक के पास भेजा था और उन्हें प्रदर्श पी० -24 एवं 25 अनुसार रासायनिक परीक्षण हेतु भी भेजा था। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह अस्वीकार किया है कि आरोपी को हथौड़ा जप्त किये जाने के पूर्व थाने से ही हथकड़ी लगाकर लाया गया था और उसे गाड़ी से उतारा भी नहीं गया था। यह भी अस्वीकार किया है कि घटनास्थल से ही हथौड़ा जप्त किया गया था। यह भी अस्वीकार किया है कि कार्तिक मिंज ने उसके द्वारा घटना किया जाना बताया था परंतु आरोपी के विरूद्ध झूठा मामला तैयार किया है और गवाहों का कथन अपने मन से लिखा गया है। यहां उल्लेखनीय है कि साक्षी जगतपाल (अ०सा०-08) के प्रतिपरीक्षा में तथा बचाव साक्ष्य अंतर्गत यह बचाव लिया गया है कि अभियुक्त को घटना दिनांक से ही थाने में रोक लिया गया था तथा अगले दिन पुलिस वाले उसे मौके पर लेकर आये थे परंतु उपरोक्त बचाव के संबंध में अन्वेषण अधिकारी से कोई प्रश्न नहीं किया गया है।

**28-** मेमोरेण्डम कथन के साक्षी नंदलाल (अ०सा०-07) तथा जगतपाल (अ०सा०-08) इन दोनों साक्षियों ने उनके समक्ष अभियुक्त का कथन

लिया जाना अस्वीकार किया है परंतु साक्षी नंदलाल (अ०सा०-07) ने अभियोजन द्वारा पूछे गये सूचक प्रश्न अंतर्गत यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त ने घर से लोहे का हथौड़ा निकालकर पुलिस को जप्त कराया था और अपना बनियान तथा जींस पेंट भी पुलिस को दिया था, जिसमें कई जगह खून लगा हुआ था परंतु पुनः प्रतिपरीक्षा अंतर्गत यह स्वीकार किया है कि उसके समक्ष अभियुक्त से हथौड़ी या उसके वस्त्र जप्त नहीं किये गये हैं। अन्य साक्षी जगतपाल (अ०सा०-08) ने सूचक प्रश्न अंतर्गत यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त ने पूछताछ में यह बताया था कि जिस हथौड़े से मृतिका को मारा है, वह बरामद करा देता हूं, और उसने उसके समक्ष एक हथौड़ा निकालकर जप्त कराया था। प्रतिपरीक्षा में यह अस्वीकार किया है कि अभियुक्त को पुलिस वाले गाड़ी से नहीं उतारे थे। यह अस्वीकार किया है कि अभियुक्त ने उनके समक्ष हथौड़ी निकालकर पुलिस को नहीं दिया था। यह भी अस्वीकार किया है कि अथौड़ी कहां से निकाला यह नहीं देखा था और बताया है कि घर से निकालकर दिया था।

**29-** उपरोक्तानुसार अभियुक्त से प्रदर्श पी० -11 अनुसार जप्ती का तथ्य अंशतः साक्षी जगतपाल (अ०सा०-08) के अभिसाक्ष्य से समर्थन हुआ है और इस साक्षी ने अभियुक्त के निशानदेही पर उससे हथौड़ी की जप्ती के तथ्य के

प्रतिकूल प्रतिपरीक्षा में कोई कथन नहीं किया है। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी के अभिसाक्ष्य अनुसार प्रकट यह तथ्य भी खण्डित नहीं हुआ है कि अभियुक्त ने मृतिका की हत्या में प्रयुक्त हथौड़े को चलकर बरामद करा दिया जाना कहा है, इसलिए अन्वेषण अधिकारी शिवकुमार धारी (अ०सा०-12) के अभिसाक्ष्य में इस संबंध में प्रकट तथ्यों के प्रतिकूल किसी विशिष्ट सुझाव या तथ्य के अभाव में अभियुक्त के मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी०-09 अनुसार लेख किया जाना और तद्नुसार प्रदर्श पी०-11 अनुसार जप्ती की कार्यवाही पर संदेह का कोई आधार दर्शित नहीं है, बल्कि इसका अन्य साक्षियों से भी समर्थन होना ही दिखायी दिया है।

**30-** डॉ० गजराज सिंह (अ०सा०-09) ने अपने अभिसाक्ष्य में जप्त संपत्ति बनियान, जींस पेंट, हथौड़ा तथा लोढ़ा को अभिमत हेतु प्रस्तुत किया जाना और उक्त संपत्तियों पर पाये गये निशान को मार्क कर उनके मानव रक्त होने के संबंध में प्रदर्श पी०-16 अनुसार एफ०एस०एल० परीक्षण की सलाह दिया जाना स्पष्ट किया है। उपरोक्त एफ०एस०एल० परीक्षण प्रतिवेदन प्रकरण में प्रदर्श पी०-26 अनुसार प्राप्त है, जिसमें घटनास्थल से प्रदर्श पी०-10 अनुसार जप्त लोढ़ा, प्रदर्श पी०-11 अनुसार अभियुक्त से जप्त हथौड़ा एवं उसके बनियान क्रमशः आर्टिकल “C” “D” एवं “E” पर मानव रक्त पाया जाना प्रतिवेदित

किया गया है। इस संबंध में अभियुक्त कथन अंतर्गत अभियुक्त की ओर से उक्त संपत्तियों का उससे जप्त नहीं होना कहा गया है परंतु यह तथ्य उपरोक्तानुसार उसकी ओर से प्रमाणित नहीं है बल्कि उक्त संपत्तियों का उससे जप्त होना स्पष्ट हुआ है। इस कारण उससे जप्त हथौड़ा तथा उसके वस्त्र पर पाया गया मानव रक्त का कोई स्पष्टीकरण अभियुक्त की ओर से प्रकट नहीं है।

**31-** उपरोक्तानुसार प्रकरण में साक्ष्य के उपरोक्त अवलोकन एवं उसके निष्कर्षों से यह स्पष्ट हुआ है कि अभियुक्त के पास मृतिका के साथ उसकी चरित्र पर शंका के कारण विवाद का अस्तित्व था और विवाद की बतायी गयी दशा एवं स्वयं बचाव पक्ष द्वारा इस संबंध में स्वीकृत तथ्य से उपरोक्तानुसार मृतिका की संघातिक चोट कारित कर उसकी हत्या किये जाने का अभियुक्त के पास आशय (Motive) था। साक्षी देवकी (अ०सा०-11) के अभिसाक्ष्य से यह स्पष्ट किया गया है कि घटना के ठीक पूर्व अभियुक्त मृतिका के साथ घर पर उपस्थित था और वहां अन्य कोई नहीं था, इसलिए मृतिका को चोट कारित होने के तथ्य को स्पष्ट किये जाने का भार अभियुक्त पर था, जबकि इसके प्रतिकूल अभियुक्त द्वारा अन्य स्थान पर उसके रहने की प्रतिरक्षा (Plea of alibi) ली गयी है, जो उसकी ओर से प्रमाणित नहीं है और यह विश्वसनीय नहीं पाया गया है। पुनः अभियुक्त से उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त हथौड़ा उसके घर से जप्त

किया गया है, जिस पर मानव रक्त प्रतिवेदित है। अभियुक्त से जप्त उसके वस्त्र पर भी मानव रक्त प्रतिवेदित है और इसका कोई यथोचित स्पष्टीकरण अभियुक्त की ओर से नहीं है, इस कारण उक्त समस्त परिस्थितियां यह इंगित करती है कि मृतिका को उसके सिर पर कारित चोट हथौड़े एवं लोढ़े द्वारा अभियुक्त के द्वारा ही कारित किया गया है।

**32-** अभियुक्त की ओर से अंतिम तर्क अंतर्गत यह वैकल्पिक बचाव लिया गया है कि अभियोजन की कहानी अनुसार मृतिका के कार्तिक राम के साथ संदिग्ध अवस्था में देखे जाने के कारण अचानक प्रकोपन के कारण यह घटना कारित हुआ है परंतु यहां उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अभियोजन की इस कहानी के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं आ सका है कि अभियुक्त ने कार्तिक राम को घटना के ठीक पूर्व मृतिका के साथ संदिग्ध अवस्था में देखा था एवं इस कारण उसके द्वारा क्रोध में यह घटना कारित हुयी थी। अभियोजन के किसी भी साक्षी ने इस तथ्य का समर्थन नहीं किया है एवं इस संबंध में सुझाव दिये जाने पर भी सुझाव अस्वीकार किया है, इसलिए प्रकरण में उपरोक्त तथ्य प्रमाणित दर्शित नहीं है।

**33-** माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायदृष्टांत **सरद बिरदीचंद शारदा विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य 1984 (4) एस०सी०सी० 116** अंतर्गत

परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हत्या के ही मामले में निम्नानुसार अवधारित किया गया है:-

> The following conditions must be fulfilled before a case against an accused can be said to be fully established on circumstancial evidence :
>
> (1) the circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn should be fully established.
>
> (2) The facts so established should be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused, that is to say. they should not be explainable on any other hypothesis except that the accused is guilty,
>
> (3) the circumstances should be of a conclusive nature and tendency.
>
> (4) they should exclude every possible hypothesis except the one to be proved, and
>
> (5) there must be a chain of evidence so complete as not to leave any reasonable ground for the conclusion consistent with the innocence of the accused and must show that in all human

probability the act must have been done by the accused.

**34-** पूर्वोक्तानुसार प्रकरण में दर्शित परिस्थितियों की समस्त श्रृंखलाएं पूर्ण दिखी है तथा अभियुक्त की निर्दोषिता की किसी भी संभावना से परे उसकी दोषिता का तथ्य प्रमाणित दिखा है और यह स्पष्ट हुआ है कि दिनांक 23.06.2022 को अभियुक्त ने ही उसके घर पर मृतिका कमला बाई की हत्या के आशय से उसके सिर पर पत्थर एवं हथौड़े से संघातिक चोट कारित कर उसकी उपरोक्तानुसार हत्या कारित किया था। अतः उपरोक्तानुसार अभियुक्त कमलेश कुमार अघरिया को भा०द०सं० की धारा 302 के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियोजन तथा अभियुक्त को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु प्रकरण थोड़ी देर पश्चात पेश हो।

सही/-

स्थान-कटघोरा (जितेन्द्र कुमार सिंह)
दिनांक- 17.08.2023 द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
कटघोरा, जिला- कोरबा(छ.ग.)

**पश्चात**

**35-** दोषसिद्ध कमलेश कुमार अघरिया के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक ताम्रकार को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। उनका कहना है कि दोषसिद्ध का यह प्रथम अपराध है। वह अपने घर के एक मात्र कमाउ व्यक्ति है।

उसकी पूर्व दोषसिद्धि प्रमाणित नहीं है। अतः निवेदन किया गया कि दोषसिद्ध को कम से कम दण्ड देकर न्याय की उद्देश्य की पूर्ति की जाए। वहीं विद्वान ए.पी.पी. श्री विश्वजीत देवनाथ ने अपने तर्क में कहा है कि दोषसिद्ध को अधिकतम दण्ड से दंडित किया जाए।

**36-** दण्ड के प्रश्न पर उभयपक्ष को सुना। दोषसिद्ध की पूर्व दोषसिद्धि प्रमाणित नहीं है। दोषसिद्ध द्वारा कारित अपराध की गंभीरता पर विचार किया गया। किसी प्रकरण में अपराधी को उसके आपराधिक कृत्य हेतु कितना दण्ड दिया जाए, यह एक महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील कार्य है। अपराधी को दण्डित करने के पूर्व न्यायालय को प्रमुख रूप से कारित अपराध की प्रकृति, उसका हेतुक, प्रभाव, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों पर विचार करना होता है।

**37-** दोषसिद्ध के विरूद्ध भा०द०सं० की धारा 302 के तहत दण्डनीय अपराध का आरोप प्रमाणित हुआ है। भा०दं०सं० की धारा 302 में अधिकतम मृत्युदण्ड तक की सजा दिये जाने का प्रावधान है। द०प्र०सं० की धारा 354 (3) में यह प्रावधान है कि जब भी कोई न्यायालय मृत्युदण्ड अधिरोपित करती है तो उसे विशेष कारण अभिलिखित करना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय के अनेक न्यायदृष्टातों से यह स्थापित हो गया है कि आजीवन कारावास एक नियम है तथा मृत्युदण्ड अपवाद है। इस संबंध में

माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायदृष्टांत ''**बचन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब'' (1980) 2 एससीसी 584 एवं न्यायदृष्टांत ''हरेश मोहन दास राजपूत वि० स्टेट ऑफ महाराष्ट्र (2011) 12 एससीसी 56** में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में अभियुक्त कमलेश कुमार अघरिया का मामला विरलतम दर्शित नहीं है। अतः दोषसिद्ध कमलेश कुमार अघरिया को भा०दं०सं० की **धारा 302 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में आजीवन कारावास की सजा एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड से** दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा करने में व्यतिक्रम में उसे 1 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा दी जाती है।

**38-** अभियुक्त कमलेश कुमार अघरिया की ओर से व्यक्त किया गया कि वह न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। अतः उसे धारा 437-क द०प्र०सं० में जमानतदार पेश करने में समर्थ नहीं है। इस प्रकार का निवेदन अभियुक्त ने भी किया है। प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त की ओर से किये गये उपरोक्त निवेदन को स्वीकार किया गया।

**39-** दोषसिद्ध कमलेश कुमार अघरिया न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। अतः दोषसिद्ध कमलेश कुमार अघरिया का सजा वारंट तैयार कर उपजेल कटघोरा भेजा जावे।

**40-** दोषसिद्ध दिनांक 24.06.2022 से आज दिनांक 17.08.2023 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध रहा है। इस संबंध में धाारा 428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार कर निर्णय के साथ एवं सजा वारंट के साथ प्रेषित किया जाए तथा यह टीप लिखा जाए कि उसके द्वारा अभिरक्षा में व्यतीत अवधि को उसे दी गयी सजा में समायोजित किया जाए।

**41-** प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी, एक पत्थर का लोढ़ा, एक लोहे का हथौड़ा, अभियुक्त का पहना कपड़ा सेण्डो एवं जींस एवं मृतिका का पहना कपड़ा साड़ी एवं पिंक कलर का ब्लाउज एफ०एस०एल० जांच हेतु भेजा गया था। एफ०एस०एल० जांच पश्चात उक्त संपत्तियां प्राप्त होने पर मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर नष्ट किया जावे। अपील होने पर उपरोक्त समस्त संपत्तियों का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार किया जावे।

**42-** मृतिका कमला बाई की मृत्यु होना दर्शित हुआ है तथा मृतिका की पुत्री कु० देवकी अगरिया एवं मृतिका के मायके पक्ष के परिजनों को क्षतिपूर्ति दिलाये जाने के संबंध में विचार किया गया, चूंकि अभियुक्त की परिस्थिति अनुसार उन पर अर्थदण्ड की राशि प्रतिकात्मक स्वरूप अधिरोपित की गयी है, इस कारण धारा 357 द०प्र०सं० के तहत मुआवजा पर्याप्त न होने से

धारा 357-क द०प्र०सं० के परिपेक्ष्य में पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत न्यायदृष्टांत '**अंकुश शिवाजी गायकवाड़ विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य 2013 (6) एस.सी.सी.सी. 770**' में अपराध से संबंधित पीड़ितों/मृतक के उक्त आश्रित को क्षतिपूर्ति का भुगतान राज्य द्वारा किये जाने के संबंध में विस्तार से प्रतिपादित सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में मृतिका के आश्रित को पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2011 के तहत पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि से यथोचित राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा द्वारा यथोचित प्रतिकर स्वरूप प्रदान किये जाने की अनुशंसा की जाती है। अतः अनुशंसा सहित निर्णय की प्रति सचिव, जिला विधि सेवा प्राधिकरण कोरबा को प्रेषित किया जाए।

**43-** निर्णय की सत्यापित प्रति दोषसिद्ध कमलेश अघरिया को एवं अतिरिक्त लोक अभियोजक को तत्काल दी जावे तथा जिला मजिस्ट्रेट, कोरबा एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरबा को ज्ञापन सह प्रेषित कर पावती अभिलेख में संलग्न की जावे।

**44-** अभियुक्त को उसके अपील के अधिकार से अवगत कराया गया। माननीय छ०ग० उच्च न्यायालय बिलासपुर के आपराधिक अपील क्रमांक-619/2018 रामदास सोनी विरूद्ध छ०ग० राज्य में पारित आदेश दिनांक-06.09.2019 के परिपालन में निर्णय की सत्यापित प्रति जेल अधीक्षक,

उपजेल कटघोरा को ज्ञापन सह प्रेषित कर निर्देश दिया जावे कि दोषसिद्ध को उनके अपील के अधिकार से अवगत करावें। ज्ञापन की पावती अभिलेख में संलग्न की जावे।

**45-** निर्णय की सत्यापित प्रति अतिरिक्त लोक अभियोजक को तत्काल दी जावे तथा जिला मजिस्ट्रेट, कोरबा को ज्ञापन सह प्रेषित कर पावती अभिलेख में संलग्न की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर घोषित किया गया।

सही/-
(जितेन्द्र कुमार सिंह)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
कटघोरा जिला- कोरबा(छ.ग.)

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

सही/-
(जितेन्द्र कुमार सिंह)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
कटघोरा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

FORM-E

| | |
|---|---|
| Date of offence | 23.06.2022 |
| Date of FIR | 23.06.2022 |
| Date of Charge Sheet | 05.09.2022 |
| Date of framing of charges | 23.01.2023 |
| Date of commencement of Evidence | 28.06.2023 |
| Date on which judgement is reserved | 10.08.2023 |
| Date of the judgement | 17.08.2023 |
| Date of the Sentencing Order, if any | Convicted U/s 302 IPC and Sentenced Respectively Life imprisonment and 500/- fine |

सत्र प्रकरण क्रं० 44/2022
छ०ग०राज्य विरूद्ध कमलेश कुमार अघरिया

## Accused Details/Set-off

| Rank of the Accued | Name of the accused | Date of arrest | Date of release on bail | Offence charged with | whether acquitted or convicted | Sentence imposed | Period of detention undergone during trial for purpose of section 428 Cr.P.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | KAMLESH KUMAR AGHARIYA | 24.06.2022 | - | U/s. 302/34 IPC | **convicted** | Respectively Life imprisonment and 500/- fine | **24.06.2022 to 17.08.2023** |

## FORM- F
## Index


| S.No. | Description | Page No |
|---|---|---|
| 1 | Heading of Judgment | 01 |
| 2 | Appearance of Advocates | 01 |
| 3 | Charge | 02 |
| 4 | Prosecution Story | 02 to 03 |
| 5 | Question for Determination | 04 to 05 |
| 6 | Question No. 01 and its findings | 05 to 10 |
| 7 | Question No. 02 and its findings | 10 to 30 |
| 8 | Conviction/aquittal findings | 30 |
| 9 | Order of Compensation | 33 to 34 |
| 10 | Disposal of Property | 33 |
| 11 | Period of Detention & Set-Off | 36 |


सही/-
(जितेन्द्र कुमार सिंह)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
कटघोरा, जिला- कोरबा(छ.ग.)